अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2024/459

बनाम

प्रार्थी	विप्रार्थी
चन्द्रवीरसिंह भाटी पुत्र मोकमसिंह उर्फ मोहकमसिंह जाति राजपूत निवासी ओला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल निवासी न्यू बी.जे.एस. जोधपुर व जिला जोधपुर	किशनाराम पुत्र हिमथाराम वगैरा जाति जाट निवासी चीवी तहसील गिड़ा व जिला बालोतरा मुकदमा संख्या 288 / 2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
23.9.2024	यह राजस्व आवेदन प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चम्पालाल प्रजापत द्वारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के नोटिस तलबी जरिए रजिस्ट्रर्ड ए.डी. जारी करनें का निवेदन किया। तहसील स्तर पर सवारों की कमी को मदद्देनजर रखतें हुए विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड ए.डी नोटिस से तलब किया जावें। रजिस्ट्री खर्चा प्रार्थीगण करेगा। प्रार्थीगण अधिवक्ता को विप्रार्थी के नोटिस की दस्ती दी जावें। विप्रार्थी संख्या 07 को तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवानें हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली वास्ते–विप्रार्थी की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 30.9.2024 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	
25/09/24	पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना–पत्र वास्ते–पत्रावली सुनवाई पर लेने बाबत् पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पत्रावली में वांछित अनुतोष पक्षकार तहसीलदार पचपदरा द्वारा जवाब पेश किया जा चुका हैं। विप्रार्थी संख्या 01 से 06 सहखातेदार होने के कारण प्रफोर्मा पक्षकार बनाया हैं,इनसे कोई इस्तदुआ नहीं चाहा हैं। अतः पत्रावली आज पेशी पर ली जाकर बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। हमनें प्रार्थी अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में मुख्य पक्षकार विप्रार्थी तहसीलदार Contd. उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

पचपदरा द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है तथा शेष विप्रार्थी प्रफोर्मा पक्षकार होने के कारण अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। ऐसी सूरत में पत्रावली को आज पेशी पर लिया जाकर अंतिम बहस सुनी जानी उचित प्रतीत होती है।

लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार की जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जाती हैं। तत्पश्चात् अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता निवेदन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार हैं,वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम खरीद की गई हैं। वक्त रजिस्ट्री प्रार्थी का घरेलु बोल–चाल भाषा में महेन्द्रसिंह पुत्र मोकमसिंह नाम अंकन किया गया,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम चन्द्रवीरसिंह भाटी हैं,प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजात् में सही नाम चन्द्रवीर सिंह भाटी इन्द्राज हैं,लेकिन वादग्रस्त आराजी में अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को क्षति हो रही हैं। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्ध प्रविष्टि विलोपित कर सही प्रविष्टि चन्द्रवीरसिंह भाटी दुरूस्त की जावे।

हमनें उभयपक्ष को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं जवाब का अवलोकन किया। जिसमें पाया किं ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 279 ,287 , 280, 282, 284 व 289 के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र मोकम दर्ज हैं,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात् यथा– आधार कार्ड, वोटर कार्ड प्रति में चन्द्रवीरसिंह पुत्र मोहकम दर्ज हैं। सरपंच ग्राम पंचायत जेरला द्वारा जारी प्रमाण–पत्र क्रंमाक 191/06.09.2024 में तस्दीक किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम चन्दवीरसिंह पुत्र मोहकमसिंह हैं। महेन्द्रसिंह व चन्द्रवीरसिंह एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी स्वंय द्वारा सशपथ–पत्र पेश कर स्वीकार किया है, कि महेन्द्रसिंह व चन्द्रवीर सिंह मैं एक ही व्यक्ति हूं तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया हैं कि प्रार्थी का विवादित आराजी में अशुद्ध नाम दर्ज हैं,जबकि वास्तविक नाम चन्द्रवीरसिंह भाटी होने के कारण रिकॉर्ड दुरस्ती की अनुशंषा की गई हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट साबित है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्ध नाम दर्ज हो रखा है,जो कि प्रार्थी नाम दुरूस्ती करवानें का हकदार है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आवेदन–पत्र को बखूबी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का

Contd.

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आवेदन स्वीकार योग्य हैं।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 279, 287, 280, 282, 284 व 289 के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में अशुद्ध नाम प्रविष्टि महेन्द्रसिंह पुत्र मोकमसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह उर्फ चन्द्रवीरसिंह भाटी पुत्र मोहकमसिंह दुरस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।
आदेश सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

25/09/2024

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा